



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259751
CG-DL-E-31122024-259751

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2024/पौष 5, 1946

No. 724]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2024/PAUSHA 5, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

सा.का.नि. 786(अ). – केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (पांचवा संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 43क के उप-नियम (3) में “31 दिसंबर, 2024”, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “31 दिसंबर, 2027”, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं के-43013(12)/1/2021-एसईजेड]

विमल आनंद संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 338(अ), तारीख 20 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2024

G.S.R. 786(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 43A, in sub-rule (3), for the words and figures “31st December, 2024” the words and figures “31st December, 2027”, shall be substituted.

[F.No. K-43013(12)/1/2021-SEZ]
VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended, *vide* notification number G.S.R 338 (E), dated the 20th June, 2024.